

प्रो. (डॉ०) सुनील कुमार, कुलसचिव

Prof. (Dr.) Suneel Kumar, Registrar

क्रमांक / No. CUH/REG. OFF./2026/2.138

दिनांक / Date: 05/08/2026

अधिसूचना/NOTIFICATION

विषय: शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क हरियाणा रोडवेज बस पास जारी करने एवं नवीनीकरण के संबंध में।

Subject: Issuance and Renewal of Free Haryana Roadways Bus Passes for Students for the Academic Session 2026-27.

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हरियाणा रोडवेज की प्रचलित योजना के अंतर्गत निःशुल्क बस पास जारी करने एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं।

All students of the Central University of Haryana are hereby informed that applications for issuance and renewal of Free Haryana Roadways Bus Passes under the prevailing Haryana Roadways Scheme are invited as per the details given below.

नए बस पास हेतु आवश्यक दस्तावेज / Documents Required for Fresh Bus Pass

1. बस पास आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट-I)
Bus Pass Application Form (Annexure-I)
2. विश्वविद्यालय पहचान पत्र की प्रति
Copy of University Identity Card
3. परिवार पहचान पत्र अथवा हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति
Copy of Family ID or Haryana Residence Certificate

बस पास नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज / Documents Required for Renewal

1. मूल पुराना बस पास
Original Old Bus Pass
2. बस पास आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट-I)
Bus Pass Application Form (Annexure-I)

बस पास की वैधता / Validity of Bus Pass

हरियाणा रोडवेज के नियमानुसार छात्र बस पास छह माह की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं।

As per Haryana Roadways rules, student bus passes are issued for a period of six months.


- 01 जुलाई 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
- 01 जनवरी 2027 से 30 जून 2027 तक

आवेदन जमा करने की अवधि एवं स्थान / Submission Schedule and Venue

- 01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक
- 01 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक

समय / Timing

- प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक (केवल कार्य दिवसों में)
10:00 AM to 11:00 AM (on working days only)



स्थान / Venue

• नवाचार एवं उद्भवन केंद्र, कक्ष संख्या-09, वाई-फाई पार्क के समीप, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय Office (Room No. 09), Centre for Innovation and Incubation, near Wi-Fi Park, Central University of Haryana.

प्रसंस्करण एवं वितरण संबंधी जानकारी / Processing and Collection

• पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर बस पास जारी कर दिए जाएंगे।


Bus passes shall be issued within 10 working days after submission of complete applications.

• विश्वविद्यालय का नामित अधिकारी प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को हरियाणा परिवहन विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करने तथा बस पास प्राप्त करने हेतु जाएगा।

The designated University official shall visit the Haryana Transport Department office every Monday and Wednesday for submission and collection of bus passes.

महत्वपूर्ण निर्देश/Important Instructions

1. केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी विद्यार्थी ही इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
Only permanent residents of Haryana are eligible for this facility.
2. विश्वविद्यालय छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थी इस सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे।
Students residing in University Hostels are not eligible for this facility.
3. यदि कोई छात्रावासी विद्यार्थी बस पास हेतु आवेदन करता हुआ अथवा इसका उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसका बस पास तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
If any hostel resident is found applying for or using the bus pass, the pass shall be cancelled immediately and appropriate disciplinary action shall be initiated.
4. बस पास के खो जाने, फट जाने, क्षतिग्रस्त होने अथवा किसी भी कारणवश अनुपयोगी हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट अथवा प्रतिस्थापन बस पास जारी नहीं किया जाएगा।
No duplicate or replacement bus pass shall be issued if the pass is lost, torn, damaged or rendered unusable for any reason.
5. सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय-सीमा एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अपूर्ण अथवा विलंब से प्राप्त आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Students are advised to strictly adhere to the prescribed schedule and instructions. Incomplete or late applications shall not be entertained under any circumstances.


05/06/2026

कुलसचिव/Registrar

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
2. सभी विद्यार्थी एवं शोधार्थी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
4. प्रणाली विश्लेषक, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति सचिवालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
6. समकुलपति सचिवालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।



CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

Haryana Roadways Bus Passes

Date		PHOTO	
Validity	6 months		
Name			
Father's/Husband's Name			
Sex (M/F)			
Address	Vill: Teh: Distt: State:		
Class		Roll No.	
Route - From	Village:	To :	Central University of Haryana
Hosteller (yes/no)		Mob. No.	
Kilometers (Distance from Village to CUH)		Signature of the Student	
Fresh/Renewal (Bus Pass Number)			
Documents Attached	University ID / HRC/ Family ID		
Remarks (If any Change in Address)			
Signature of HOD/TIC		Stamp of HOD/TIC	